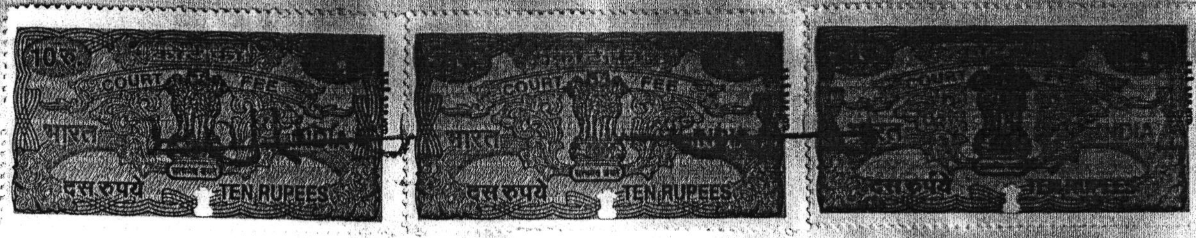

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4014

श्री .... द्वारा आज दि. 27-10-2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 27-10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पेशी दिनांक 9-11-17

1. हिरिया पुत्री श्री लछुवा काछी पत्नी उमरूआ , निवासी ललौनी हाल निवासी ~~गहरवार तहसील~~ छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.
2. संतोष पुत्र गनेश काछी , निवासी गहरवार आयु 35 साल
3. धनीराम पुत्र गनेश काछी , निवासी गहरवार आयु 32 साल
4. लाडकुंवर पुत्री गनेश काछी आयु 36 साल हाल निवासी पहाडगांव तहसील व जिला छतरपुर
5. विमला पुत्री गनेश काछी आयु 34 साल निवासी अचट्ट तहसील व जिला छतरपुर
6. श्रीमती परमी पुत्री लछुआ काछी पत्नी श्री मनमोहन काछी निवासी ललौनी हाल निवासी भगवंत पुरा तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

..........आवेदकगण

बनाम

1. भूरा तनय कमला काछी निवासी ललौन तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
2. हरदयाल पिता कमला काछी निवासी ललौन तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
3. राजू तनय कमला काछी निवासी ललौन तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

...... अनावेदकगण

4. खुमनी पुत्री लछुआ काछी पत्नी मोहन काछी , निवासी ललौनी हाल निवासी

27/10/17

माधौपुर तहसील नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.

5. श्रीमती लल्लाबाई पुत्री लछुआ काछी पत्नी मुलू काछी , निवासी ललौनी हाल निवासी गहरवार तहसील छतरपुर म.प्र.

.............प्रोफार्मा पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1073 अ– 6/ 2016–17 में आदेश पारित आदेश 08.08.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण मृतक लछुआ तनय गडुवा काछी निवासी ललौनी तहसील छतरपुर के वैध वारिस है। लछुवा ग्राम बगौता की भूमि खसरा नं. 119 , 1042, 2520, 2521, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2534, 2536/2 , 2537, 2543, 2544 कुल किता 17 रकवा .946 हेक्टेयर मौजा बगौता तहसील छतरपुर जिला छतरपुर का भूमि स्वामी वर्ष 1957– 58 से रहा है। उसने अपनी मृत्यु के पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 1301 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थीगण को दिनांक 09.07.1981 को निम्न खसरा नम्बर की भमि विक्रय कर दी थी , भूमि खसरा नं. 1042 , 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536/2 , 2537, 2543, 2544 कुल किता 14 रकवा 2.902 हेक्टेयर नामान्तरण पंजी की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि विक्रय पत्र से अलग खसरा क्रमांक 119, 2520, 2521 कुल किता तीन रकवा 1.044 हेक्टेयर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

II / निगरानी / छतरपुर / भू0राज0 / 2017 / 4014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–10–2017	उभय पक्ष अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदकों द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने दिनांक 08–8–2017 को अनावेदकों के अभिभाषक को सुनने के पश्चात अपील ग्राह्य की तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–7–2017 के कियान्वयन पर रोक लगाई है। अपर आयुक्त द्वारा उक्त अंतरिम आदेश में स्थगन कितने समय के लिए दिया है इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52(2) में यह प्रावधानित किया गया है कि– ''(2) अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी, किसी भी समय, यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी कि अपील की गई है या जिसके कि विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जितना कि वह ठीक समझे: परन्तु आदेश का निष्पादन, एक बार में, तीन मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, नहीं रोका जाएगा।'' अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में स्थगन देते समय किसी प्रकार समय–सीमा का उल्लेख नहीं करने से म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52(2) का उल्लंघन है। अतः अपर आयुक्त सागर के अपील प्रकरण कमांक 1073 / अ–6 / 16–17 का अंतरिम आदेश 08–08–2017 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि संहिता के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही करें। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	